

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम धारा 102 ए के तहत ग्राम पंचायतों को आबादी / शमशान

/ कब्रिस्तान विस्तार हेतु भूमि आरक्षण

- 1 प्रार्थी ग्राम पंचायत का नाम
- 2 आरक्षण हेतु चाही गई भूमि का विवरण
 1. नाम तहसील
 2. नाम पटवार मण्डल
 3. नाम ग्राम
 4. खसरा नम्बर
 5. कुल क्षेत्रफल
 6. किस्म जमीन
 7. ग्राम पंचायत का प्रस्ताव संख्या दिनांक प्रति संलग्न करें।
 8. विशेष विवरण

हस्ताक्षर सरपंच
ग्राम पंचायत

रिपोर्ट तहसीलदार

- 1 प्रार्थी ग्राम पंचायत का नाम
- 2 आरक्षण हेतु चाही गई भूमि का विवरण
 1. नाम तहसील
 2. नाम पटवार मण्डल
 3. नाम ग्राम
 4. खसरा नम्बर
 5. किस्म भूमि
 6. खसरा नम्बर का कुल क्षेत्रफल (एकड़ में)

7. प्रस्तावित क्षेत्रफल (एकड में)
8. जमाबन्दी, खसरा व नक्शे की प्रति संलग्न है।
9. प्रस्तावित भूमि कमाण्ड क्षेत्र की है अथवा नहीं है।
10. पटवारी की मौका रिपोर्ट संलग्न करें।
3. यदि प्रस्तावित भूमि चरागाह है तो पशु संख्या प्रस्तावित आवंअन के पश्चात ग्राम में उपलब्ध चरागाह भूमि क्या पशु संख्या के अनुपात में चरागाह भूमि पर्याप्त है? यदि नहीं है तो चरागाह की क्षति-पूर्ति के लिए क्या विकल्प है।
- 4 प्रस्तावित भूमि की आबादी के लिए उपयुक्ता पर टिप्पणी
- 5 विभागीय निर्देश दिनांक 20.10.83 के तहत आवश्यक सूचना ग्राम की जनसंख्या निवास हेतु भूमि आवश्यकता एकड में।
(जनसंख्या में 35 का भाग देकर गणना की जावे।)
विषयान्तर्गत निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक सुविधाओं हेतु आवश्यक क्षेत्रफल (1000 तक की जनसंख्या के लिए 10 एकड अगले प्रति एक हजार या उसके भाग के लिए पांच एकड के आधार पर)
कुल वांछित आबादी का क्षेत्रफल
वर्तमान में उपलब्ध आबादी का क्षेत्रफल
- 6 यदि निर्धारित मानदण्ड से अधिक आबादी भूमि प्रस्तावित की गई है तो कारण स्पष्ट किया जावे।
- 7 क्या प्रस्तावित भूमि पर अतिक्रमण है ?
- 8 यदि हां तो कितने व्यक्तियों के द्वारा कितने क्षेत्रफल पर अतिक्रमण है।
- 9 यदि अतिक्रमण का नियम प्रस्तावित है तो किन शर्तों पर
- 10 क्या अतिक्रमण का नियमन राजस्व विभाग द्वारा नहीं किया जा सकता। यदि नहीं तो क्यों?
- 11 जिला कलक्टर की राय

हस्ताक्षर तहसीलदार